

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 04 / 2025

पंजीकरण संख्या :- 2025 / 7

बउनवान

अभय कुमार आयु 29वर्ष पुत्र स्व. ओमप्रकाश महाजन निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारों
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारों

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरुद्ध तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी नामांतरण संख्या 2688 दर्ज दिनांक 11.05.2018 वाके ग्राम
छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद की अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक

(अपीलांट)

2- परोकार सरकार

(रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 29.12.2025

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी नामांतरण संख्या 2688 दिनांक 11.05.2018 वाके ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारों से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 24.02.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्जे सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो अप्राप्त है। प्रकरण में लिमिटेशन प्रार्थना पत्र पर सर्वप्रथम बहस सुनी जाकर, उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मेमो के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि वाके माल ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद में आराजी खसरा नं. 781/1 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नं. 782 रकबा 0.04 बीघा एवं खसरा नं. 1422/462 रकबा 0.02 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 हेक्टे0 तत्कालीन खातेदार चौथमल पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी छीपाबडौद से मुताबिक जमाबंदी संवत् 2069-2072 से जरिये रजिस्ट्री अपीलांट द्वारा खरीद की गई थी जिसका इंतकाल नं. 2527 दिनांक 30.06.2016 से अपीलांट के हक में खातेदारी दर्ज की गई थी तबसे अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा उपरोक्त खसरा नंबरान में से 864.619 वर्गमीटर कार्यालय तहसीलदार तहसील छीपाबडौद के आदेश क्रमांक राजस्व/2018/162-166 दिनांक 27.04.2018 संपरिवर्तन आदेश से आवासीय भूमि में संपरिवर्तन करा लिया गया था। इस प्रकार उक्त आराजी गैर मुमकिन आबादी में दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन इंतकाल नं. 2688 हल्का पटवारी छीपाबडौद द्वारा दिनांक 10.05.2018 को रिपोर्ट की गई जिसकी आई.एल.आर. छीपाबडौद द्वारा जांच की गई एवं उसके पश्चात् तहसीलदार साहब छीपाबडौद द्वारा दिनांक 11.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 में प्रमाणित किया गया जिसमें खातेदार अपीलांट अभय के स्थान पर खाता सरकार आवासीय रूपांतरित आबादी दर्ज कर दिया गया जबकि उपरोक्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन आबादी थी लेकिन खातेदार अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था। इस प्रकार खाता सरकार गैर कानूनी दर्ज किया गया है। भूमि वर्गीकरण के कॉलम में ही किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज होनी थी तथा खातेदार मालिक अपीलांट ही दर्ज किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट के पिता ओमप्रकाश जी की मृत्यु दिनांक 30.11.2023 को हो चुकी है। उसके बाद अपीलांट द्वारा जानकारी करने पर यह तथ्य सामने आया कि विवादित इंतकाल में खातेदार दर्ज नहीं किया जाकर खाता सरकार कर दिया गया है। इस कारण अपील प्रस्तुत कर न्याय की सहायता प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। अपीलांट की कृषि भूमि वर्तमान में खाता सरकार दर्ज रहने से अपीलांट को स्वयं के खाते कब्जे की आराजियात के उपयोग उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये खाता सरकार से वापस अपीलांट के खाते में मालिकाना हक दर्ज करवाये जाने का अधिकारी है। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट को जानकारी होने पर निर्णय नकल के लिये अपने अधिवक्ता से संपर्क कर आवेदन किया गया जिस पर निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है। मियाद के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत Government of Rajasthan Revenue (Group- IV) Department के No.F.6(6)Rev.6/92/Pt./14 Jaipur Dated 02-04-2007 प्रस्तुत किया गया।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.05.2018 नामांतरण संख्या 2688 ग्राम छीपाबडौद निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट के हक में बतौर मालिक खातेदार दर्ज किये जाने हेतु नया इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से परोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि कार्यालय तहसीलदार छीपाबडौद के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/162-166 दिनांक 27.04.2018 से अभय कुमार पुत्र ओमप्रकाश गोयल की कृषि भूमि खसरा नं. 781/1 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नं. 782 रकबा 0.04 बीघा एवं खसरा नं. 1422/462 रकबा 0.02 बीघा कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1 बीघा (क्षेत्रफल 864.619 वर्गमीटर) आवासीय में दर्ज करने का आदेश हुआ। उक्त इंतकाल नंबर 2688 दिनांक 11.05.2018 वाके ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारों को दर्ज करते समय कृषि भूमि खसरा नं. 781/1 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नं. 782 रकबा 0.04 बीघा एवं खसरा नं. 1422/462 रकबा 0.02 बीघा कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1 बीघा (क्षेत्रफल 864.619 वर्गमीटर) को खाता सरकार आवासीय रूपांतरित आबादी अंकित कर दिया गया, जो गलत है। उक्त इंतकाल में खाता सरकार के नाम के स्थान पर अभय पुत्र ओमप्रकाश गोयल का नाम अंकित किया जाना चाहिए था।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज पर मनन किया गया जिससे पाया गया कि प्रकरण में उक्त इंतकाल नंबर 2688 दर्ज दिनांक 11.05.2018 वाके ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारों दर्ज करते समय संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/162-166 दिनांक 27.04.2018 से अभय गोयल पुत्र ओमप्रकाश गोयल की कृषि भूमि खसरा नं. 781/1 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नं. 782 रकबा 0.04 बीघा एवं खसरा नं. 1422/462 रकबा 0.02 बीघा कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1 बीघा (क्षेत्रफल 864.619 वर्गमीटर) आवासीय में दर्ज करने का आदेश हुआ परंतु रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त इंतकाल दर्ज करते समय कृषि भूमि खसरा नं. 781/1 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नं. 782 रकबा 0.04 बीघा एवं खसरा नं. 1422/462 रकबा 0.02 बीघा कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1 बीघा (क्षेत्रफल 864.619 वर्गमीटर) को खाता सरकार आवासीय रूपांतरित आबादी अंकित कर दिया गया, जो राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 12 के तहत दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 2688 दर्ज दिनांक 11.05.2018 वाके ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारों निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, छीपाबडौद को प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को सुना जाकर राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 12 के विधिक प्रावधानों के अनुसार नामांतरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **29.12.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति० जिला कलक्टर
बारों